Jun-225

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0: 0522–2337453
सीयूजी : 9454400167
Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांकःपीएसी–1–152(1)–2026/1820
दिनांकः जून 06 ,2026

आदेश

पुलिस महानिरीक्षक, ''स्थापना'' उ0प्र0 के पत्र संख्याः दस–329/2025(अधियाचन–1015)/109 दिनांक 17.11.2025 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी–तीन–5(01)/2025 दिनांक 10.11.2025 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 990 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह मई 2026 की 19 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	1876	060490780	रमेश चन्द्र यादव	श्री राम नवल यादव	गोण्डा	
2	1877	060581727	शिव कुमार वर्मा	सुदर्शन वर्मा	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
3	1878	060490504	सुरेश कुमार यादव	मनोरथ यादव	गोरखपुर	2025
4	1879	060770514	सुनील कुमार जयसवाल	किशोरीलाल गुप्ता	सिद्धार्थनगर	2025
5	1880	060720359	रणजीत सिंह	श्री भैरो प्रसाद सिंह	जौनपुर	2025
6	1881	060490474	दीन दयाल यादव	श्री अधर चन्द्र यादव	गोण्डा	2025
7	1883	060581701	अमरेश कुशवाहा	राम प्रवेश कुशवाहा	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
8	1884	060490719	सुरेन्द्र कुमार	श्री जगनारायण यादव	बलरामपुर	2025
9	1885	060697442	सत्य प्रकाश यादव	श्री अछैवर सिंह यादव	32वीं वाहिनी लखनऊ	2025
10	1886	060440479	मो0 हसन	शमशुद्दीन	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
11	1888	060501123	प्रमोद कुमार	मन्तू राम	बरेली	2025
12	1889	060501208	सुरेश कुमार	श्री चतुरी प्रसाद	जौनपुर	2025
13	1891	060440873	राजन कुमार	श्री रामाज्ञा प्रसाद	गोण्डा	2025
14	1892	060581570	अजीत कुमार उपाध्याय	श्री गौतम उपाध्याय	श्रावस्ती	2025
15	1894	060697178	बृजेश कुमार यादव	स्व0 लाल जी यादव	कमिश्नरेट वाराणसी	2025
16	1895	060501051	अजय कुमार	भागवत	11वीं वाहिनी सीतापुर	2025
17	1896	060490139	चन्द्र प्रकाश यादव	रामरतन यादव	अयोध्या	2025

18	1897	060640039	जगदीश यादव	धीरेन्द्र प्रताप	कमिश्नरेट वाराणसी	2025
19	1898	060570071	मुहम्मद नौशाद	श्री मुख्तार अहमद	महराजगंज	2025

2— उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई/कमिश्नरेट में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेगें। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3— पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा ।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89—का—1—1997 दिनांकः28.05.1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ विद्यमान न हों:—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है ।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा ।

6— यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। पदोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षियों को रिक्ति के सापेक्ष समायोजित/स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

<u>संलग्नकःघोषणा—पत्र</u>

6/6

(डा0 प्रीतिन्दर सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ/वाराणसी।

2– पुलिस महानिरीक्षक, ''स्थापना'' उत्तर प्रदेश ।

3– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।

4– समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ ।

5– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।

6– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।

7– सेनानायक, 11वीं/32वीं वाहिनी पीएसी उ0प्र0।

8– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा/गोरखपुर/सिद्धार्थनगर/जौनपुर/बलरामपुर/बरेली/जौनपुर/श्रावस्ती/अयोध्या/महाराजगंज।

प्रारूप– "क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं...(नाम/पदनाम व पीएनओ) .... पुत्र...निवासी .... थाना.. .... जनपद................. ....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)........... .... नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र .... का आरक्षी हूँ।

मै प्रमाणित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा ।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण ....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को आरोप–पत्र दिया गया है ।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0.................................धारा......................थाना........................... जनपद......... .... में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .... द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .... स्तर पर चल रहा है ।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:– स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये ।